रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2016/फाल्गुन 21, 1937
No. 93] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2016/ PHALGUNA 21, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक
(गैर बैंकिंग विनियमन विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 27 मार्च, 2015

अधिसूचना सं.:गैबैंविवि.007/सीजीएम(सीडीएस)-2015.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम 1934 का 2) की धारा 45-झक की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा दी गई शक्तियों और इस संबंध में प्रदान की गई अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 20 अप्रैल 1999 की अधिसूचना सं:132/सीजीएम (वीएसएनएम)-99 का अधिक्रमण करते हुए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कार्य प्रारंभ करने अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार जारी रखने के लिए निवल स्वाधिकृत निधि के रूप में रुपये दो सौ लाख की आवश्यकता को इसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

बैंक से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने तथा रुपये दो सौ लाख से कम निवल स्वाधिकृत निधि रखने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार जारी रख सकती है बशर्ते कि ऐसी कंपनी को -

i. 1 अप्रैल 2016 के पूर्व रुपये एक सौ लाख; तथा

ii. 1 अप्रैल 2017 के पूर्व रुपये दो सौ लाख

निवल स्वाधिकृत निधि प्राप्त करनी होगी।

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञा.-III/4/असा./38(388)]

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Non-Banking Regulation)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 27 March, 2015

Notification No.DNBR.007/ CGM (CDS) -2015.—In exercise of the powers under clause (b) of sub-section (1) of section 45 –IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act 2 of 1934) and all the powers enabling it in that behalf, the Reserve Bank of India, in supersession of Notification No. 132/ CGM (VSNM) -99 dated April 20, 1999, hereby specifies two hundred lakhs rupees as the net owned fund required for a non-banking financial company to commence or carry on the business of non-banking financial institution.

Provided that a non-banking financial company holding a certificate of registration issued by the Reserve Bank of India and having net owned fund of less than two hundred lakhs of rupees, may continue to carry on the business of non-banking financial institution, if such company achieves net owned fund of, -

i. one hundred lakhs of rupees before April 1, 2016; and

ii. two hundred lakhs of rupees before April 1, 2017

C D SRINIVASAN, Chief General Manager

[ADVT.III/14/Exty./38/(388)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.